

To,

The Registrar,

Hon'ble National Green Tribunal,

Copernicus Marg, New Delhi.

Subject: Submission of Action Taken Report (ATR) in compliance with Hon'ble National Green Tribunal order dated 16.02.2024 in OA No. 483/2022, Ashish Kumar Mishra & Ors Vs State Of Uttar Pradesh.


Sir,

In compliance with Hon'ble National Green Tribunal order dated **16.02.2024** in OA No. 483/2022, Ashish Kumar Mishra Vs State Of Uttar Pradesh, the Action Taken Report on behalf of Principal Secretary, Urban Development Department, State Of Uttar Pradesh is being filed and annexed herewith.

It is requested that the said report may be presented before the Hon'ble tribunal for kind consideration.

Encl. as above:

You Sincerely,



(Kalyan Banerjee)

Joint Secretary

Urban Development Department,

GoUP

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL
BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 483 OF 2022

IN THE MATTER OF :-

Ashish Kumar Mishra & Ors.

...Applicant(s)

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors

...Respondents

**ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF URBAN DEVELOPMENT
DEPARTMENT, STATE OF U.P. IN COMPLIANCE OF THE ORDER
DATED 16.02.2024 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL**

That the answering Respondent most respectfully submit as under:

1. That this Hon'ble Tribunal vide its order-

".....7. Joint Secretary, Urban Development Department, Government of UP has also filed the action taken report belatedly on 15.02.2024 disclosing the similar position in respect of discharge of untreated sewage in river Varuna and Assi. The State has not disclosed the steps taken for demarcation of flood plains of river Varuna and river Assi in District, Varanasi. The



report filed by the Joint Secretary, Urban Development Department on 15.04.2024 is absolutely silent on this issue.

8. Learned Counsel for the State is unable to disclose to the Tribunal as to why the State is not responding on the issue of demarcation of flood plain zone. Hence, the State of UP is directed to file a fresh report within four weeks disclosing the steps taken in this regard by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF."

2. That the present Action taken Report is being filed in pursuance to and in compliance of the aforesaid directions passed by this Hon'ble Tribunal.

3. That it is humbly submitted to cater the issue of river Varuna, Assi State of UP is taking necessary steps. Two meetings were held under the chairmanship of Chief Secretary, government of UP on 28.02.2024 and 09.04.2024.

True copy of Minutes of meeting is annexed here as Annexure- 1

4. In the meeting Chief Secretary state of UP has constituted a committee under the chairmanship of Joint Managing director, Jal Nigam (Urban) to do technical study and submit the report on not-fully-functionality of interceptor sewer laid along the Varuna River By UPPCL/Irrigation. The committee has visited the site on 03.04.2024.

Photographs of site visit is annexed here as Annexure - 2.

5. It is humbly submitted that in the meeting Chief Secretary directed the irrigation department for rehabilitation/desilting of existing interceptor

sewer line and UP Jal Nigam (Urban) to prepare a project for the construction of SPS(Sewage Pumping Station) near the bank of river Varuna for pumping of sewage flow in interceptor sewer laid by UPPCL to the sewage treatment plant. The UP Jal Nigam Urban has started the survey work for the preparation of DPR and will submit the DPR within 2 months. Chief secretary also direct the UP Jal Nigam (Rural) to expedite the sanctioning process of the project for the construction of STP at Durga drain from NMCG under the Namami Gange Programme.

Minutes of meeting is already Annexed as Annexure- 1

6. That it is humbly submitted that present flow in Asi River/Nagava Drain is about 78 MLD. From total flow of the drain approx. 50 MLD is being at treated at Ramna 50 MLD STP and rest approx 28 MLD goes down in river Ganga. To arrest and treat excess quantity of sewage of Assi/Nagava drain, construction of 55 MLD STP at Bhagwanpur has been approved by National Mission For Clean Ganga (NMCG), New Delhi and the tender has been awarded to M/s Enviro Infra Engineers Limited MTS JV, and the work has been commenced. **A True Copy of Letter dated 24.04.2024 of Jal Nigam (Gramin) is enclosed as- Annexure- 3**

7. It is humbly submitted that for the demarcation of floodplain zones of varuna and Assi in district Varanasi Irrigation department issue office



order number 7579/son/92B-floodplain zone/Varanasi for Varuna and office order number 5111/Sinkamava/flood/NGT for river Assi.

A true copy of Office order for the demarcation is annexed here-with as- Annexure- 4

In line with the above said office order District Magistrate vide letter number 2179/NGT OA Number 367/2022/2023-24 dated 8-2-2024 directed the Executive engineer of irrigation department to demarcate the flood plain zone of Varuna River and Assi River.

A true copy of letter of District Magistrate for the demarcation is annexed here-with as-5

Filed by

25.04.2024

Urban Development Department, State of UP

वाराणसी में वरुणा नदी में प्रवाहित दूषित जल के समुचित प्रबंधन हेतु मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 09.04.2024 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति: संलग्न विवरण के अनुसार।

वाराणसी में वरुणा नदी में प्रवाहित हो रहे नालों हेतु सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व में बिछाये गये इण्टर सेप्टर सीवर के क्रियाशील न होने एवं नालों को नदी में गिरने से रोकने के संबंध में विचार-विमर्श हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई।

2. विषयगत प्रकरण में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 28.02.2024 को सम्पन्न बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा वाराणसी में वरुणा नदी में प्रवाहित हो रहे नालों की टैपिंग हेतु यू० पी० पी० सी० एल० द्वारा पूर्व में कराये गये कार्यों की तकनीकी अध्ययन तथा रेट्रोफिटिंग के कार्य का भौतिक निरीक्षण कर अपना प्रस्तुतीकरण बैठक में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रस्तुतीकरण के माध्यम से समिति द्वारा वाराणसी में वरुणा नदी में प्रवाहित हो रहे नालों की टैपिंग, एस० टी० पी० निर्माण, सीवरेज नेटवर्क इत्यादि कार्यों को किये जाने हेतु विकल्पों के विषय में विचार-विमर्श किया गया, उक्त के क्रम में निम्नवत् मत स्थिर किया गया:

क्र. सं.	कार्यवाही का बिन्दु	बैठक में दिये गये निर्देश	कार्यवाही किये जाने वाले संबंधित विभाग
1	वरुणा नदी के किनारे पूर्व में स्थापित इण्टरसेप्टर सीवर लाइन/चैम्बर्स की मरम्मत व डिजिटलिंग का कार्य किये जाने के संबंध में।	<p>वरुणा नदी के किनारे बने इण्टरसेप्टर चैम्बर्स, जो प्रायः गंगा नदी किनारे पूर्व में स्थापित इण्टरसेप्टर सीवर लाइन में अत्यधिक सिल्ट जमा हो जाता है, जिससे इण्टरसेप्टर सीवर लाइन/चैम्बर्स दृष्टिगत निम्न निर्देश दिये गये हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> यू० पी० पी० सी० एल० द्वारा तकनीकी जाँच कराते हुए इण्टरसेप्टर चैम्बर्स को नाले के अपस्ट्रीम में सिफ्ट किये जाने पर आवश्यक कार्यवाही करें, जिससे इण्टरसेप्टर सीवर लाइन में सिल्टिंग न हो पूर्व में स्थापित इण्टरसेप्टर सीवर लाइन में बने चैम्बर्स में वरुणा नदी का पानी बैकफ्लो हो जाता है। उक्त ओवरफ्लो के कारणों की तकनीकी जाँच कराते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाए तथा ओवरफ्लो को रोकने हेतु बनाये गये डक्ट को बन्द करने एवं चैम्बर्स को रिडिजाईन करने के संबंध में भी आवश्यक कार्यवाही की जाए। <p>पूर्व में बिछाई गयी इण्टरसेप्टर सीवर लाइन को यू० पी० पी० सी० एल० द्वारा सर्वे तथा तकनीकी</p>	<ul style="list-style-type: none"> प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ

		परीक्षण करने के उपरान्त आवश्यक मरम्मत व डिसिल्टिंग का कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराना सुनिश्चित किये जाए ताकि इण्टरसेप्टर सीवर लाइन भविष्य में पुनः सिल्टिंग के कारण निष्प्रयोज्य न हो। उक्त कार्य में होने वाले व्यय का आगणन बनाकर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से धनराशि प्राप्त करने के संबंध में भी नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए।	
2	वरुणा नदी में प्रवाहित होने वाले नालों की टैपिंग एवं एस 0 टी 0 पी 0 निर्माण कराये जाने के संबंध में।	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) एवं नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग (एन 0 एम 0 सी 0 जी 0) द्वारा 80 एमएलडी दीनापुर एसटीपी एवं कोनिया एमपीएस को 220 एमएलडी क्षमता पर अपग्रेड किया जाये, उक्त अतिरिक्त दुर्गा नाले की टैपिंग एवं लोहता में 55 एमएलडी क्षमता के एसटीपी निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। विषयगत प्रकरण में वरुणा नदी में प्रवाहित 13 नालों के अतिरिक्त शेष नालों के टैपिंग की भी कार्यवाही करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि कोई अशोधित जल वरुणा नदी में सीधे प्रवाहित न हो।	<ul style="list-style-type: none"> • प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग • प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)
3	वरुणा नदी के दोनों किनारों पर पम्पिंग स्टेशन बनाकर इण्टरसेप्टर सीवर को गोइठहां एसटीपी एवं दीनापुर एसटीपी पर डायवर्जन की कार्यवाही किये जाने के संबंध में।	उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) द्वारा वरुणा नदी के दोनों किनारों पर पम्पिंग स्टेशन बनाकर इण्टरसेप्टर सीवर को गोइठहां एसटीपी एवं दीनापुर एसटीपी पर डायवर्जन की कार्यवाही किये जाने के संबंध में। विषयगत प्रकरण से संबंधित कार्य हेतु अपेक्षित धनराशि अमृत/राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अंतर्गत प्रावधानित धनराशि से कराये जाने पर संबंधित विभाग द्वारा विचार किया जाये।	<ul style="list-style-type: none"> • प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग • प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ
4	प्रस्तावित कार्यों के समन्वय एवं हस्तान्तरण के संबंध में।	विषयगत प्रकरण से संबंधित कार्यों का समन्वय आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा तीनों विभाग यथा-सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय/ग्रामीण) एवं नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग से नियमित अनुश्रवण किया जायेगा। नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी द्वारा उक्त कार्यों में अपेक्षित सहयोग तथा समन्वय प्रदान किया जाए। साथ ही आयुक्त, वाराणसी मण्डल द्वारा उपर्युक्त योजनान्तर्गत बनाये गये विभिन्न	<ul style="list-style-type: none"> • प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग • प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति

	निर्माण कार्यो को पूर्ण करने के उपरान्त नगर निगम, वाराणसी को हस्तान्तरित करने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।	विभाग • आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी • प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) • प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ • नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी
5	वरुणा नदी में जल जमाव से उत्पन्न मच्छरों की समस्या से निजात जमाव से उत्पन्न हेतु सिंचाई विभाग द्वारा वरुणा नदी में अतिरिक्त जल छोड़े जाने के समस्याओं के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए।	• प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

अन्त में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

Digitally Signed by अमृत
अभिजात

Date: 25-04-2024 11:06:43

Reason: Approved

(अमृत अभिजात)

प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-5

संख्या: 2005 /नौ-5-2024-Computer No: 1783470

लखनऊ, दिनांक 25 अप्रैल, 2024

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ० प्र० शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव महोदय के अवगतार्थ।
4. महानिदेशक, एन० एम० सी० जी०, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
8. आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
9. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
10. जिलाधिकारी, वाराणसी।
11. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
12. नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
13. निदेशक, आई० आई० टी० (बी० एच० यू०)
14. गार्ड बुक/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,
25.04.2024
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव

वाराणसी में वरुणा नदी में प्रवाहित हो रहे नालों हेतु सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व में बिछाये गये इण्टर सेप्टर सीवर के क्रियाशील न होने एवं नालों को नदी में गिरने से रोकने एवं नगर पालिका परिषद, रायबरेली में सई नदी में प्रवाहित होने वाले अनटैप्ड नालों की टैपिंग, आई 0 एण्ड डी 0 वर्क एवं एस 0 टी 0 पी 0 निर्माण कार्य किये जाने पर विचार-विमर्श हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 28.02.2024 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति: संलग्न विवरण के अनुसार।

वाराणसी में वरुणा नदी में प्रवाहित हो रहे नालों हेतु सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व में बिछाये गये इण्टर सेप्टर सीवर के क्रियाशील न होने एवं नालों को नदी में गिरने से रोकने के संबंध में।

दिनांक 28.02.2024 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में वाराणसी में वरुणा नदी में नालों के टैपिंग व बाढ़ के कारण हुई समस्या के संबंध में बैठक हुई। बैठक में अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था यू 0 पी 0 पी 0 सी 0 एल 0 द्वारा वाराणसी में वरुणा नदी के दोनो छोर पर नदी के चैनैलाइजेशन एवं तटीय विकास परियोजना (लागत रू 0 20165.85 लाख) का कार्य कराया गया था। योजना की स्वीकृति वर्ष 2016 में हुई थी तथा कार्य वर्ष 2021 में पूर्ण हुआ। योजना के अन्तर्गत वरुणा नदी के तटीय विकास के साथ-साथ दोनो छोर पर आर.सी.सी. ह्यूम पाइप डालकर 13 नालों को टैप किया गया तथा चौकाघाट मुख्य सीवेज पम्पिंग स्टेशन में मिलाया गया।

यह भी अवगत कराया गया कि प्रति वर्ष बाढ़ के दौरान नालों का टैपिंग स्ट्रक्चर डूब जाता है, जिसके कारण पाइप लाइन में सिल्ट एवं गाद आदि प्रवेश कर गयी है, जिससे लाइन चोक हो गयी है तथा नालों का सीवेज बगल में ओवरफ्लो हो रहा है। जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि योजना बनने के उपरान्त से कभी क्रियाशील नहीं हुई है। प्रकरण मा 0 एन 0 जी 0 टी 0 के ओ 0 ए 0 संख्या-483/2022 Ashish Kumar Mishra & Ors व अन्य से आच्छादित है।

2. वाराणसी में वरुणा नदी में प्रवाहित हो रहे नालों हेतु सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व में बिछाये गये इण्टर सेप्टर सीवर के क्रियाशील न होने एवं नालों को नदी में गिरने से रोकने के संबंध में कार्यदायी संस्था यू 0 पी 0 पी 0 सी 0 एल 0 द्वारा पूर्व में कराये गये कार्यों की तकनीकी अध्ययन तथा रेट्रोफिटिंग कराये जाने के संबंध में संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति का गठन किया जाना है:

संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ	अध्यक्ष
--	---------

सिंचाई एवं जलापूर्ति विभाग द्वारा नामित अधिकारी (अधीक्षण अभियन्ता से अनिम्न न हो)	सदस्य
प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी	सदस्य
आई 0 आई 0 टी 0 (बी 0 एच 0 यू 0) के विशेषज्ञ	सदस्य

उक्त समिति द्वारा वाराणसी में वरुणा नदी में प्रवाहित हो रहे नालों की टैपिंग हेतु यू 0 पी 0 पी 0 सी 0 एल 0 द्वारा पूर्व में कराये गये कार्यों की तकनीकी अध्ययन तथा रेट्रोफिटिंग कराये जाने के संबंध में अपनी रिपोर्ट शासन को एक माह के भीतर उपलब्ध कराया जाये।

(कार्यवाही: प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग/प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ/संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ/ प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ/नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी/ आई 0 आई 0 टी 0 (बी 0 एच 0 यू 0))

3. उक्त गठित समिति द्वारा पूर्व में कराये गये कार्यों का तकनीकी अध्ययन तथा रेट्रोफिटिंग इस आधार पर की जाए कि वाराणसी में वरुणा नदी में प्रवाहित होने वाले 13 नालों में से पूर्व में बिछाये गये इण्टर सेक्टर सीवर एवं टैपिंग के कार्यों में वर्तमान में कितने क्रियाशील है, कितने अक्रियाशील है, कितने में रेट्रोफिटिंग की आवश्यकता है एवं कितने कार्यों को कम से कम खर्च में जनोपयोगी बनाया जा सकता है, की विस्तृत रिपोर्ट सर्वेक्षण कर प्रस्तुत की जाए।

(कार्यवाही: प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ)

4. उक्त गठित समिति के कार्यों में आयुक्त, वाराणसी मण्डल तथा जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा सभी प्रकार का समन्वय स्थापित किया जायेगा तथा संबंधित विभागों द्वारा पूर्व में करे गये कार्यों की सत्यापित प्रतियां, डी 0 पी 0 आर 0 तथा अन्य आवश्यक परियोजना से संबंधित डाटा समिति को उपलब्ध कराया जायेगा।

(कार्यवाही: प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग/प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ/आयुक्त, वाराणसी मण्डल/जिलाधिकारी, वाराणसी/ प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ)

5. यदि वाराणसी में वरुणा नदी में प्रवाहित होने वाले 13 नालों में से पूर्व में बिछाये गये इण्टर सेक्टर सीवर एवं टैपिंग के कार्यों में वर्तमान में क्रियाशीलता व रेट्रोफिटिंग सम्भव न हो पाने की दशा में पूर्व में

सम्पादित की गयी परियोजना से कराये गये कार्यों की जाँच कराकर दोषी अधिकारियों/अभियन्ताओं के विरुद्ध एफ 0 आई 0 आर 0 कर चार्जशीट दाखिल करते हुए परियोजना की लागत की वसूली के संबंध में संबंधित विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाए।

(कार्यवाही: प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग/आयुक्त, वाराणसी मण्डल/जिलाधिकारी, वाराणसी/ प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ)

6. यदि वर्तमान में उक्त परियोजना की क्रियाशीलता व रेट्रोफिटिंग सम्भव न हो पाने की दशा में पर्यावरणीय उपचारों एवं जनहित के दृष्टिगत वाराणसी में वरूणा नदी में प्रवाहित होने वाले 13 नालों में इन्टर सेप्टर सीवर एवं टैपिंग के कार्यों को नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा कराये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जाए।

(कार्यवाही: प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग /प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ)

• नगर पालिका परिषद, रायबरेली में सई नदी में प्रवाहित होने वाले 07 अनटैप्ड नालों की टैपिंग के संबंध में।

अवगत कराया गया कि प्रकरण मा 0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित **Execution Application No.32/2023 in** ओ 0 ए 0 संख्या-490/2019 **T.S. Singh vs. State of U.P** में पारित आदेशों से आच्छादित है। नगर पालिका परिषद, रायबरेली के 7 अनटैप्ड नालों के माध्यम से लगभग 32 एम 0 एल 0 डी 0 अशोधित मल सीधे सई नदी में प्रवाहित हो रहा है।

2. उक्त 07 अनटैप्ड नालों की टैपिंग का कार्य नमामि गंगे एवं जलापूर्ति विभाग द्वारा कराये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जाए।

(कार्यवाही: प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग /प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ)

अन्त में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

Digitally Signed by अमृत
अभिजात
Date: 04-03-2024 14:04:23
Reason: Approved

(अमृत अभिजात)

प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-5

संख्या: 1371 /नौ-5-2024-Computer No: 1783470

लखनऊ, दिनांक ०५ मार्च, 2024

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ० प्र० शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव महोदय के अवगतार्थ।
4. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
7. आयुक्त, वाराणसी मण्डल।
8. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
9. जिलाधिकारी, वाराणसी, रायबरेली।
10. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
11. नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
12. निदेशक, आई० आई० टी० (बी० एच० यू०)
13. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रायबरेली (रायबरेली)।
14. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), रायबरेली।
15. गार्ड बुक/कम्प्यूटर सेल।

o

आज्ञा से
04.03.2024
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5

संख्या: 137(1)नौ-5-2024-Computer No: 1783470

लखनऊ: दिनांक: 06 मार्च, 2024

वाराणसी में वरूणा नदी में प्रवाहित हो रहे नालों हेतु सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व में बिछाये गये इण्टर सेप्टर सीवर के क्रियाशील न होने एवं नालों को नदी में गिरने से रोकने के संबंध में कार्यदायी संस्था यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा पूर्व में कराये गये कार्यों के तकनीकी अध्ययन तथा रेट्रोफिटिंग कराये जाने के संबंध में संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:-

1.	संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ	अध्यक्ष
2.	सिंचाई एवं जलापूर्ति विभाग द्वारा नामित अधिकारी (अधीक्षण अभियन्ता से अनिम्न न हो)	सदस्य
3.	प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
4.	प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
5.	प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
6.	नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी	सदस्य
7.	आई0आई0टी0 (बी0एच0यू0) के विशेषज्ञ	सदस्य

2- उक्त गठित समिति द्वारा वाराणसी में वरूणा नदी में प्रवाहित हो रहे नालों की टैपिंग हेतु यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा पूर्व में कराये गये कार्यों की तकनीकी अध्ययन तथा रेट्रोफिटिंग कराये जाने के संबंध में अपनी रिपोर्ट शासन को एक माह के भीतर उपलब्ध कराया जाये।

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव

संख्या-137/ (1)नौ-5-2024, तदिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव महोदय के अवगतार्थ।
4. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
7. आयुक्त, वाराणसी मण्डल।
8. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
9. जिलाधिकारी, वाराणसी, रायबरेली।
10. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
11. नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
12. निदेशक, आई0आई0टी0 (बी0एच0यू0)
13. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रायबरेली (रायबरेली)।
14. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), रायबरेली।
15. गार्ड बुक/कम्प्यूटर सेल।

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव



Note cam lite

Address : Hamrautia,Varanasi,Uttar Pradesh,India
Latitude : 25.341393333333333°
Longitude : 82.98467666666666°
Altitude : 69.0 meter
Date : 04/03/2024 11:24 am
Accuracy : 3.3 meter
Time zone : GMT+05:30
Note : visit of Varuna Interceptor



Note cam lite

Address : Hakul Ganj,Varanasi,Uttar Pradesh,India
Latitude : 25.334878333333334°
Longitude : 82.99734666666667°
Altitude : 67.0 meter
Date : 04/03/2024 11:58 am
Accuracy : 1.5 meter
Time zone : GMT+05:30
Note : visit of Varuna Interceptor



Note cam lite

Address : Varanasi cantonment,Varanasi,Uttar Pradesh,India
Latitude : 25.341388333333333°
Longitude : 82.98282166666668°
Altitude : 72.0 meter
Date : 04/03/2024 11:19 am
Accuracy : 2.6 meter
Time zone : GMT+05:30
Note : visit of Varuna Interceptor



SITE VISIT

Email Id- pmgppdvns@yahoo.com



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई
भगवानपुर, वाराणसी-221005

पत्रांक कैम्प / भगवानपुर / 01 दिनांक 24.04.2024
सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,
निर्माण मण्डल,
उ०प्र० जल निगम (नगरीय),
वाराणसी।

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन नं० 483/2022 आशीष कुमार मिश्र व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 16.02.2024 के अनुपालन में आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपसे दूरभाष पर हुई वार्ता के क्रम में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन नं० 483/2022 आशीष कुमार मिश्र व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 16.02.2024 के अनुपालन में उ०प्र० जल निगम (नगरीय) एवं उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) की संयुक्त आख्या संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

(आशीष कुमार सिंह)
परियोजना प्रबन्धक

प०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


1. नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
2. महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी।
3. अधिशासी अभियन्ता, बंधी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, वाराणसी।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (प्रथम), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), वाराणसी।


परियोजना प्रबन्धक

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन नं० 483/2022 आशीष कुमार मिश्र व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 16.02.2024 के अनुपालन में आख्या।

असि नदी (नाला)

असि नदी में वर्तमान में पूर्णतया घरेलू सीवेज निस्तारित हो रहा है, जिसका वर्तमान डिस्चार्ज लगभग 78 एम०एल०डी० है। 50 एम०एल०डी० सीवेज को डायवर्ट कर रमना स्थित 50 एम०एल०डी० एस०टी०पी० में शोधित किया जा रहा है। शेष लगभग 28 एम०एल०डी० के शुद्धीकरण हेतु भगवानपुर में 55 एम०एल०डी० क्षमता के एस०टी०पी० के निर्माण की स्वीकृति एन०एम०सी०जी०, नई दिल्ली द्वारा प्रदान की गयी है, जिसकी निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर मेसर्स इन्वायरो इन्फ्रा प्रा०लि०, नई दिल्ली को लेटर ऑफ अवार्ड निर्गत कर दिया गया है। कार्य प्रारम्भ की तिथि 07.03.2024 एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि 06.12.2025 है। वर्तमान में एस०टी०पी० के डिजाईन ड्राइंग का कार्य प्रगति पर है। अन्तरिम ट्रीटमेन्ट हेतु नगर निगम, वाराणसी द्वारा बायोरेमिडिएशन कराया जा रहा है एवं एन०एम०सी०जी०, नई दिल्ली द्वारा भी अतिरिक्त डिस्चार्ज हेतु एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस द्वारा शोधन व्यवस्था की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को सुपरवाइजरी एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया गया है। फर्म द्वारा कार्य स्थल पर आवश्यक समस्त संसाधनों का अधिष्ठापन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। पावर कनेक्शन प्राप्त करने में हुए विलम्ब के कारण उपरोक्त शोधन व्यवस्था को 30 अप्रैल 2024 तक क्रियाशील किया जाना प्रस्तावित है।



(संजय कुमार रंजन)
अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड (प्रथम)
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)
वाराणसी।



(आशीष कुमार सिंह)
परियोजना प्रबन्धक
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
वाराणसी।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन नं० 483/2022 आशीष कुमार मिश्र व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 16.02.2024 के अनुपालन में आख्या।

वरुणा नदी

वरुणा नदी में नगर निगम सीमा से कुल 14 नग नाले निस्तारित हो रहे हैं। नगर निगम सीमा के विस्तार के उपरान्त 01 नग बड़ा नाला (दुर्गा नाला) जिसका कुल डिस्चार्ज 37 एम०एल०डी० है, नगर निगम सीमा में सम्मिलित हुआ है। इस प्रकार कुल 15 नग नाले वरुणा नदी में निस्तारित हो रहे हैं। उपरोक्त नालो में से 13 नग नाले को सिंचाई विभाग द्वारा इन्टरसेप्टर सीवर के माध्यम से टैप किया गया था। वर्तमान में अधिकांश नाले ओवरफ्लो कर रहे हैं। वरुणा नदी में प्रवाहित हो रहे नालो एवं सिंचाई विभाग द्वारा टैप किये गये नालो के ओवरफ्लो के निराकरण हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के अध्यक्षता में दिनांक 28.02.2024 को आहूत बैठक में संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। उक्त कमेटी ने दिनांक 03.04.2024 को कार्य स्थल का निरीक्षण एवं समस्त संबंधित के साथ बैठक की गयी थी। उक्त कमेटी की रिपोर्ट वर्तमान तक अपेक्षित है। पुनः दिनांक 09.04.2024 को मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक में निर्देशित किया गया है कि सिंचाई विभाग द्वारा बिछायी गयी इन्टरसेप्टर सीवर लाइन की सम्पूर्ण डिसिल्टिंग, मरम्मत इत्यादि सिंचाई विभाग द्वारा ही कराया जायेगा, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा उक्त इन्टरसेप्टर सीवर लाइन हेतु सीवेज पम्पिंग स्टेशनों का निर्माण कर सीवेज को शोधन हेतु 120 एम०एल०डी० एस०टी०पी० गोइठहा/140 एम०एल०डी० दीनापुर एस०टी०पी० पर भेजने की परियोजना का गठन किया जायेगा एवं उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा दुर्गा नाला हेतु अलग एस०टी०पी० के निर्माण का पूर्व में प्रेषित डी०पी०आर० पुनः एन०एम०सी०जी०, नई दिल्ली को नमामि गंगे कार्यक्रम में स्वीकृत कराने हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जाये। उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है एवं डी०पी०आर० आगामी 02 माह के अन्दर स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दिया जायेगा।


(संजय कुमार रंजन)
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड (प्रथम)
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)
वाराणसी।


(आशीष कुमार सिंह)
परियोजना प्रबन्धक
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
वाराणसी।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (सोन)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०,
वाराणसी।

(cesonevaranasi@gmail.com)

(cesoneidupva-up@nic.in)

पत्रांक- २२२५ / सोन / १२बी-फ्लड प्लेन जोन / वाराणसी
कार्यालय-झाप

दिनांक:- 17
दिसम्बर-2020

ओ०ए० सं०-673/2018 में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.09.2018 के अन्तर्गत शासनादेश सं०-338/20-27-सिं-4-26(रिट)2019, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 दिनांक 02.02.2020 के अनुपालन में इस संगठन के क्षेत्रान्तर्गत जनपद भदोही एवं वाराणसी में वरुणा नदी में लगातार पूरे वर्ष पानी नहीं बहता है, जो एक नॉन-पेरिनियल नदी है, के दोनों किनारों से 50 मीटर तक जलोत्पत्ती भी प्रकार के निर्माण, अतिक्रमण, व्यवसायिक गतिविधि, पट्टे नीलामी, प्रदूषण करने वाली गतिविधियों एवं सभी गतिविधियों को रोके जाने हेतु उक्त क्षेत्र को 'फ्लड-प्लेन जोन' निर्धारित किया जाता है। उक्त क्षेत्र में निर्माण/अतिक्रमण को रोके जाने हेतु सम्बन्धित द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी।

1. वरुणा नदी का फ्लड प्लेन जोन:-

(क)-जहाँ नदी के दोनों ओर मार्जिनल तटबंध निर्मित है ऐसे स्थानों पर दोनों तटबंधों के मध्य का क्षेत्र।
(ख)-जहाँ नदी के दोनों ओर मार्जिनल तटबंध निर्मित नहीं है ऐसे स्थानों पर नदी के किनारे से 50 मीटर तक का क्षेत्र।

2. जनपद के सिंचाई विभाग, उ०प्र० के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा कार्य क्षेत्र के अनुसार फ्लड प्लेन जोन नक्शे पर एवं मॉफे पर चिह्नित कराया जाये।

3. फ्लड-प्लेन जोन में किसी भी प्रकार के निर्माण, अतिक्रमण, व्यवसायिक गतिविधि, पट्टे नीलामी, प्रदूषण करने वाली गतिविधियाँ एवं सभी गतिविधियाँ प्रतिबन्धित रहेगी। उक्त जोन को फ्लड प्लेन जोन के रूप में ही संरक्षित किया जाय एवं पूर्व से चल रही सभी गतिविधियाँ तत्काल प्रभाव से बन्द या विस्थापित किया जाए।

4. ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व में चल रही गतिविधियों/नई गतिविधियों या अतिक्रमण की स्थिति में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से शासनादेशों में निहित प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। शहरी क्षेत्रों में अतिक्रमण की स्थिति में सम्बन्धित नगरपालिका /अर्बन डेवलपमेन्ट विभाग/नगर निगम/विकास प्राधिकरण द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

5. जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में फ्लड-प्लेन जोन की निगरानी के लिए प्रत्येक माह बैठक आयोजित की जायेगी। इसके लिए सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, अर्बन डेवलपमेन्ट विभाग के समकक्ष अधिकारी एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी प्रतिभाग करेंगे तथा किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को रोकने/हटाने के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

आर०बी०आर० एक्ट, यू०पी० अर्बन प्लानिंग एवं डेवलपमेन्ट एक्ट-1973 तथा इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट एक्ट-1976 के अन्तर्गत फ्लड-प्लेन जोन में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य हेतु कोई अनापत्ति नहीं दी जायेगी, और न ही मू-नानचित्र स्वीकृत किया जायेगा। उक्त प्रकार के अवैध निर्माण को रोकने हेतु उक्त अधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

उक्त क्षेत्र जो इस प्रस्ताव के बिन्दु संख्या-(3) एवं (6) से अछादित नहीं है, उसमें औचित्य पाये जाने पर जिलाधिकारी के माध्यम से बिन्दु संख्या-4 में उल्लिखित एजेन्सियों के द्वारा अपने-अपने कार्य क्षेत्र में अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जायेगी साथ ही सी०आर०पी०सी० की धाराओं में भी सम्मानान्तर कार्यवाही की जाए।

जिलाधिकारी द्वारा यू०पी० प्लड इमरजेन्सी पावर (एफीजीशन एवं रिक्वीजीशन) एक्ट 1991 का प्रभावी प्रयोग किया जाए।

सम्बन्धित एजेन्सियों द्वारा नदियों के प्लड-प्लेन जोन में अवैध निर्माणकर्ताओं को सचेत किया जाए कि वह अपने अवैध निर्माण को तुरन्त हटा ले। यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि इस प्रकार के अवैध निर्माण के कारण बाढ़ से होने वाली क्षति की कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी तथा बाढ़ सुरक्षा कार्य नहीं कराये जायेंगे, साथ ही अवैध निर्माण से होने वाली क्षति की वसूली अवैध निर्माणकर्ताओं से की जायेगी। अवैध निर्माण/अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटाने का प्रयास किया जाय। यदि स्वेच्छा से न हटाया जाये तो उपरोक्त उपपत्र (6) तथा (7) की विधिक व्यवस्थाओं के अधीन कार्यवाही की जाये। सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों/औद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं नगर पालिका परिषदों द्वारा अधिनियमों में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अवैध निर्माणकारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाए।

सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित थानाध्यक्षों के माध्यम से प्लड-प्लेन जोन में अवैध निर्माण/अतिक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण की स्थिति उत्पन्न होते ही पुलिस एवं जिला प्रशासन के द्वारा दृष्टिकोण हटाये जाने की व्यवस्था प्लड-प्लेन जोन में भी कड़ाई से अनुपालन कराया जाये।

प्लड-प्लेन जोन में अतिक्रमण/अवैध निर्माण हटाये जाने हेतु अपेक्षित कार्यवाही न करने पर सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये।

अतिक्रमणकारियों/अवैध निर्माणकर्ता को राशन कार्ड, बिजली-कनेक्शन, पानी कनेक्शन आदि राजकीय सुविधाएँ उपलब्ध न करायी जाये।

रक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

इ०—
(श्याम सुन्दर)
मुख्य अभियन्ता (सोन)

पत्रांक :- 7575 / सोन / तदिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (विन्ध्याचल), स्तर-1, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, प्रयागराज।
3. मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, वाराणसी।
5. आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
6. जिलाधिकारी, वाराणसी/मदोही।
7. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, वाराणसी/मदोही।
8. अधीक्षाधीन अभियन्ता, चन्धी प्रखण्ड वाराणसी।

इ०—
(श्याम सुन्दर)
मुख्य अभियन्ता (सोन)

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता,
सिंचाई कार्य मण्डल, वाराणसी

पत्रांक:- 5111/सिकामवा/बाढ़/एन0जी0टी0/

दिनांक:-

.जुलाई-2023

कार्यालय ज्ञाप

ओ0ए0 सं0-673/2018 में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.09.2018 के क्रम में शासनादेश सं0-338/20-27-सिं-4-26(रिट)2019 सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 दिनांक 09.02.2020 के अनुपालन में इस मण्डल के अधीनस्थ बन्धी प्रखण्ड, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत जनपद वाराणसी में अस्सी नदी में लगातार पूरे वर्ष पानी नहीं बहता है, जो एक नॉन-पेरिनियल नदी है अधिकतर डिस्चार्ज घरों से निकलने वाले पानी का है, के दोनों किनारों से 25 मीटर तक किसी भी प्रकार के निर्माण, अतिक्रमण, व्यवसायिक गतिविधि, पट्टे नीलामी, प्रदूषण करने वाली गतिविधियों एवं सभी गतिविधियों को रोके जाने हेतु उक्त क्षेत्र को "फलड-प्लेन जोन" निर्धारित किया जाता है। उक्त क्षेत्र में निर्माण/अतिक्रमण को रोके जाने हेतु सम्बन्धित द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी।

1. अस्सी नदी का फलड प्लेन जोन:-

(क)-जहाँ नदी के दोनो ओर मार्जिनल तटबंध निर्मित है ऐसे स्थानों पर दोनों तटबंधो के मध्य का क्षेत्र।

(ख) जहाँ नदी के दोनों ओर मार्जिनल तटबंध निर्मित नहीं है ऐसे स्थानों पर नदी के किनारों से 25 मीटर तक का क्षेत्र।

- जनपद के सिंचाई विभाग, उ0प्र0 के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, बन्धी प्रखण्ड, वाराणसी द्वारा कार्य क्षेत्र के अनुसार फलड प्लेन जोन नक्शे पर एवं मौके पर चिन्हित कराया जाये।
- फलड प्लेन जोन में किसी भी प्रकार के निर्माण, अतिक्रमण, व्यवसायिक गतिविधि, पट्टे नीलामी, प्रदूषण करने वाली गतिविधियाँ एवं सभी गति विधियाँ प्रतिबन्धित रहेगी। उक्त जोन को फलड प्लेन जोन के रूप में ही संरक्षित किया जाय एवं पूर्व से चल रही सभी गतिविधियाँ तत्काल प्रभाव से बन्द या विस्थापित किया जाए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व में चल रहीं गतिविधियों/नई गतिविधियों या अतिक्रमण की स्थिति में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से शासनादेश में निहित प्राविधानों के तहत प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। शहरी क्षेत्रों में अतिक्रमण की स्थिति में सम्बन्धित नगर निगम/विकास प्राधिकरण द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।
- जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में फलड-प्लेन जोन की निगरानी के लिए प्रत्येक माह बैठक आहूत की जायेगी। इसके लिए सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, अर्बन डेवलपमेन्ट विभाग के समकक्ष अधिकारी एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी प्रतिभाग करेंगे तथा किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को रोकने/हटाने के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
- आर0बी0ओ0 एक्ट, यू0पी0 अर्बन प्लानिंग एवं डेवलेपमेन्ट एक्ट -1973 तथा इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट एक्ट-1976 के अन्तर्गत फलड प्लेन जोन में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य हेतु कोई अनापत्ति नहीं दी जायेगी और न ही भू-मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा। उक्त प्रकार के अवैध निर्माण को रोकने हेतु उक्त अधिनियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।
- ऐसे क्षेत्र जो इस प्रस्ताव के बिन्दु संख्या-(3) एवं (6) से अच्छादित नहीं है, उसमें औचित्य पाये जाने पर नार्दन इण्डिया कैनल एवं ड्रेनेज एक्ट-1873 की धारा-55 के अन्तर्गत क्षेत्रों को अधिसूचित करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से बिन्दु संख्या-4 में उल्लेखित एजेन्सियों के द्वारा अपने-अपने कार्यक्षेत्र में अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जायेगी साथ ही सी0आर0पी0सी0 की धाराओं में भी समानान्तर कार्यवाही की जाए।



(2)

8. जिलाधिकारी द्वारा यू0पी0 फलड इमरजेन्सी पावर (एक्वीजीशन एवं रिक्वीजीशन) एक्ट 1991 का प्रभावी प्रयोग किया जाए।
9. सम्बन्धित एजेन्सियों द्वारा नदियों के फलड-जोन में अवैध निर्माणकर्ताओं को सचेत किया जाए कि वह अपने अवैध निर्माण को तुरन्त हटा ले। यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि इस प्रकार के अवैध निर्माण के कारण बाढ़ से होने वाली क्षति की कोई प्रति पूर्ति नहीं की जायेगी तथा बाढ़ सुरक्षा कार्य नहीं कराये जायेंगे, साथ ही अवैध निर्माण से होने वाली क्षति की वसूली अवैध निर्माणकर्ताओं से की जायेगी। अवैध निर्माण/अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटाने का प्रयास किया जाय। यदि स्वेच्छा से न हटाया जाये तो उपरोक्त उपप्रस्तर (6) तथा (7) की विधिक व्यवस्थाओं के अधीन कार्यवाही की जाये। सम्बन्धित विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम द्वारा अधिनियमों में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अवैध निर्माणकारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाए।
10. पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा सम्बन्धित थानाध्यक्षों के माध्यम से फलड-प्लेन जोन में अवैध निर्माण/अतिक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
11. सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण की स्थिति उत्पन्न होते ही पुलिस एवं जिला प्रशासन के द्वारा बलपूर्वक हटाये जाने की व्यवस्था फलड-प्लेन जोन में भी कड़ाई से अनुपालन कराया जाये।
12. फलड-जोन में अतिक्रमण/अवैध निर्माण हटाये जाने हेतु अपेक्षित कार्यवाही न करने पर सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये।
13. अतिक्रमणकारियों/अवैध निर्माणकर्ता को राशनकार्ड, बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन आदि राजकीय सुविधाएँ उपलब्ध न करायी जाये।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(केशरी सिंह)

अधीक्षण अभियन्ता

पत्रांक: 5111/तदिनांक: 20.07.2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (विन्ध्याचल), स्तर-1, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (सोन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, वाराणसी को उनके पत्रांक 8102/सोन/92बी-16डब्लू/एन0जी0टी0/दिनांक 20.07.2023 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में।
5. आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
6. पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट वाराणसी।
7. जिलाधिकारी, वाराणसी।
8. नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
9. उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी
- ✓ 10. अधिशासी अभियन्ता, बन्धी प्रखण्ड, वाराणसी को उनके पत्रांक 1644/बंप्रवा/कला अनु0/फलड-प्लेन जोन/दिनांक 17.07.2023 के क्रम में।

20.07.2023

(केशरी सिंह)

अधीक्षण अभियन्ता

20-7-23

कार्यालय-जिलाधिकारी, वाराणसी

आदेश

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०एन० नं० 367/2022 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 24.05.2022, 04.12.2023, ओ०ए० नं० 483/2022 आशीष कुमार मिश्रा एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 तथा ओ०ए० नं० 128/2021 सौरभ तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.11.2021 (छायाप्रति संलग्न) का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु दिनांक 03.02.2024 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता सम्बंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक की गयी। समीक्षा बैठक में गंगा नदी की सहायक नदियों यथा वरुणा नदी एवं असि नदी पर अवैध अतिक्रमण हटाये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय आदेश संख्या 1342/ओ०ए० नं० 128/2021/2022-23, दिनांक 20.02.2023 के द्वारा निम्नलिखित टीम का गठन किया गया था :-

1. उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा नामित अधिकारी।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी द्वारा नामित अधिकारी।
3. सम्बंधित उपजिलाधिकारी/क्षेत्रीय अपर नगर मजिस्ट्रेट, वाराणसी।
4. अधिशासी अभियंता, बन्धी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, वाराणसी।

उपरोक्त नामित अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि वरुणा नदी एवं असि नदी पर अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही 01 माह के अन्दर सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की विस्तृत आख्या फोटोग्राफ सहित अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें। मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० नं० 128/2021 सौरभ तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.11.2021 के अनुपालन में गंगा नदी की सहायक नदियों यथा वरुणा नदी एवं असि नदी पर किये गये अतिक्रमण का सर्वेक्षणकर 15 दिन के अन्दर चिन्हांकन कर आख्या अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियंता, बन्धी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, वाराणसी को निर्देशित किया गया। समीक्षा के दौरान संज्ञान में लाया गया कि मा० एन०जी०टी० में ओ०एन० नं० 367/2022 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 24.05.2022, 04.12.2023, ओ०ए० नं० 483/2022 आशीष कुमार मिश्रा एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के सम्बंध में अगली सुनवाई दिनांक 16.02.2024 को नियत की गयी है तथा प्रश्नगत प्रकरण में असि नदी एवं वरुणा नदी पर हुए अतिक्रमण के सीमांकन एवं अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बंध में अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जानी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए गंगा नदी की सहायक नदियों यथा वरुणा नदी एवं असि नदी के अवैध अतिक्रमण का सीमांकन किये जाने एवं अवैध अतिक्रमण हटाये जाने हेतु निम्न आदेश पारित किया जाता है:-

1. उपजिलाधिकारी, सदर, वाराणसी द्वारा अपने नेतृत्व में असि नदी एवं वरुणा नदी के चिन्हांकन का कार्य कराते हुए अवैध अतिक्रमणों की सूची 03 दिवस के अन्दर नगर आयुक्त, वाराणसी नगर निगम को प्रस्तुत किया जाये।
2. उपजिलाधिकारी, सदर, वाराणसी द्वारा चिन्हांकित अवैध अतिक्रमणों को नगर निगम, वाराणसी द्वारा हटाया जायेगा तथा अतिक्रमण हटाने में पूर्व में निर्गत आदेश दिनांक 20.02.2023 के द्वारा गठित टीम द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाये।
3. अधिशासी अभियंता, बन्धी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, वाराणसी द्वारा फ्लड प्लेन जोन का पिलर डिमाकेशन किया जाये।
4. उपरोक्त समस्त कार्यों की समीक्षा अपर जिलाधिकारी (नगर), वाराणसी द्वारा की जाये तथा सभी सम्बंधित विभागों से समन्वय कराते हुए कार्यों को ससमय पूर्ण कराया जाये।

उक्त आदेश का समयबद्ध कड़ाई से सम्बंधित विभागों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा कृत कार्यवाही की आख्या अधोहस्ताक्षरी को 05 दिवस में प्रस्तुत की जाये। ध्यान दें कि उक्त

आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं होने तथा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी किये जाने की दशा में सम्बंधित विभाग की सम्पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

(एस0 राजलिंगम)
जिलाधिकारी, वाराणसी

पत्रांक :- 2179/NGIT OANo.367/2022/2023-24

दिनांक : 00-02-2024

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी को सादर अवलोकनार्थ।
2. उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
4. अपर जिलाधिकारी (नगर), वाराणसी।
5. उपजिलाधिकारी, सदर, वाराणसी।
6. सम्बंधित अपर नगर गजिस्ट्रेट, वाराणसी।
7. अधिशासी अभियंता, बन्धी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, वाराणसी।
8. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।

(एस0 राजलिंगम)
जिलाधिकारी, वाराणसी